

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ।

आदेश

माह मार्च 2023 में अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य सम्पादित किये जाने हेतु श्री तरुण कुमार, अपर सिविल जज (जू0 डि0) कोर्ट सं05, मेरठ को अधिकृत किया जाता है। जिसमें होली अवकाश दिनांक 7.3.2023 एवं 8.3.2023 में रिमाण्ड कार्य श्री आसिफ नवाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना, मेरठ द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक— 02.03.2023

(विनय कुमार—द्वितीय)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

प्रतिलिपि—

1. मा0 जनपद न्यायाधीश महोदय मेरठ को सूचनार्थ प्रेशित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को सूचनार्थ प्रेशित।
3. संबंधित सभी न्यायालयों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेशित।
4. संयुक्त निदेशक, अभियोजन को सूचनार्थ प्रेशित।
5. कारागार अधीक्षक, जिला कारागार मेरठ को सूचनार्थ प्रेशित।
6. अध्यक्ष, मेरठ बार एसोसिएशन, मेरठ।
7. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, मेरठ।

दिनांक— 02.03.2023

(विनय कुमार—द्वितीय)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।